न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 98 / 2018
निर्णय दिनांकः– 06.01.2021

उनवान

सांवली पत्नी कानजी जाति मीना निवासी मुई जिला सवाई माधोपुर
प्रार्थीयां

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)
– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थीयां
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 242 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम गाडोली तहसील उनियारा मे स्थित है। ग्राम गाडोली मे प्रार्थीया का पीहर है तथा प्रार्थीया का ग्राम मुई मे ससुराल है। प्रार्थीया के पीहर ग्राम गाडोली मे माता पिता बचपन मे प्रार्थीया को रमेशी के नाम से पुकारते थे, जबकि प्रार्थीया का नाम सावली है, लेकिन सहवन से जांच पडताल के दौरान प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे सावली के स्थान पर रमेशी लिखने मे आ गया, जबकि प्रार्थीया के सरकारी रिकार्ड आधार कार्ड, बच्चों के पढाई के कागजात तथा बैंक एवं समस्त रिकार्ड मे नाम सावली ही दर्ज है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम सावली के स्थान पर रमेशी दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजी पर के.सी.सी. स्वीकृत करवाने ,कुषि अनुदान प्राप्त करने आदि मे परेशानी हो रही है।

यह कि प्रार्थीयां की अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खसरा नम्बर 242 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम गाडोली मे प्रार्थीया का नाम रमेशी के स्थान पर सावली दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि रमेशी के द्वारा उक्त भूमि खरीद की है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 8.6.2009 द्वारा श्रीमती रमेशी देवी पत्नी कानजी जाति मीणा निवासी मुई तहसील व जिला सवाईमाधोपुर के नाम स्वीकार हुआ है। रमेशी के बजाय सावली पहले विक्रय पत्र मे शुद्व किया जाना अपेक्षित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 वाके ग्राम गाडोली तहसील उनियारा मे आराजी ख0न0 2428 रकबा 0.79 है0 श्रीमती रमेशी पत्नी कानजी जाति मीणा निवासी मुई तहसील व जिला सवाईमाधोपुर के द्वारा जरिये विक्रय पत्र खरीद की है तथा उसी के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 8.6.2009 केता के पक्ष मे स्वीकार हुआ है। प्रार्थीया को रजिस्ट्री मे अंकित नाम मे सुधार के लिये सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिये । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत नहीं आता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा